न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 39/2020

दायर दिनांक – 24.11.2020

निर्णय दिनांक – 22.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020/00081

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती कमला महावर पत्नी स्व. श्री जीवणचन्द 2. श्री नरेश महावर पुत्र स्व. श्री जीवणचन्द 3. श्रीमती बीना महावर पुत्री स्व. श्री जीवणचन्द 4. श्रीमती यश कंवर पुत्री स्व. श्री जीवणचन्द 5. श्रीमती रेनु महावर पुत्री स्व. श्री जीवणचन्द 6. श्री रामकुमार पुत्र स्व. श्री भंवरलाल 7. श्री रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री भंवरलाल समस्त जाति माली निवासी पंचकुण्ड रोड़ तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्राथना–पत्र अन्तगत धारा 136 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री एन.एस. राजावत, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित धारा–132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित अपनी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 1255/1618 व 1256 को वर्किंग जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण सं. 421 दिनांक 11.07.1985, 470 दिनांक 10.10.1985 तथा 876 दिनांक 19.03.2007 में किये गए इन्द्राज के अनुसार दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर में स्थित आराजी जिसका वर्किंग खसरा नं. 2063 रकबा 06–08–00 बीघा व 2020 रकबा 02–01–00 बीघा भूमि के मूल खातेदार श्री भंवरलाल पुत्र श्री किस्तुरा, श्री ब्रह्मा पुत्र श्री गणेश व श्री काना पुत्र श्री किशना जाति माली रहे। उक्त भूमि को मूल खातेदारान द्वारा जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.11.1975 द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री भंवरलाल पुत्र श्री लालूराम 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी सं. 01 से 05 के पति/पिता श्री जीवणचन्द पुत्र श्री भंवरलाल 1/2 हिस्सा जाति माली जरिये विक्रय नामान्तकरण सं. 421 दिनांक 11.07.1985 द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमियां जरीये विरासत एवं पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 30.12.2016 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण सं. 876 दिनांक 09.03.2007 द्वारा स्व. श्री जीवणचन्द एवं प्रार्थी सं. 06 व 07 के नाम खातेदारी स्वीकृत की गई। किन्तु भू-बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान आधार जमाबन्दी बनाते समय उक्त भूमियों की वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 एवं विधिवत रूप से स्वीकृत नामान्तकरण सं. 421 दिनांक 11.07.1985 एवं 876 दिनांक 09.03.2007 के विपरित इन्द्राज कारित कर दिया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2208 दिनांक 01.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **बिन्दु संख्या 01 में बताया गया खसरा नम्बर 2063 रकबा 06–08–00 वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 02 में मूल खातेदार भंवरलाल पुत्र किस्तूरा व ब्रह्मा पुत्र गणेश व काना पुत्र किशना जाति माली निवासी निज ग्राम खातेदार दर्ज थे। इसी प्रकार उक्त खाते में खसरा नम्बर 2080 रकबा 02–01–00 भी दर्ज है। उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज था। जबकि वादीगण द्वारा खसरा संख्या 2080 के स्थान पर 2020 बताया जो गलत है। तत्पश्चात खसरा नम्बर 2063 रकबा 06–08–00 व खसरा नम्बर 2080 रकबा 02–01–00 नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 11.07.1985 से सम्पूर्ण खातेदारों के स्थान पर उक्त दोनों खसरा नम्बर पर भंवरलाल पुत्र लालूराम 1/2 हि. व जीवणचन्द वल्द भंवरलाल 1/2 हि. जाति माली सा. पुष्कर का अंकन हुआ। तत्पश्चात नामान्तरक[illegible] 19.03.07 विरासत एवं रिलीजडीड अनुसार भंवरलाल पुत्र लालूराम के स्था[illegible] कुंवार रामस्वरूप, जीवणचन्द पि. भवरलाल 1/2 हि. के नाम स्वीक[illegible] तत्पश्चात [illegible]बन्ध के दौरान खसरा नम्बर 2063 रकबा 06–08–00 के नवीन ख[illegible] 1219/2897 रकबा 0.01 बने जो आधार जामबन्दी संवत् 2065–84 में भी [illegible]मान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 19.03.07 का नोट दर्ज है। जो वर्तमान जामाबन्दी के खाता संख्या 504 में खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.35, 1219/2897 रकबा 0.01 में वर्किंग अनुसार इन्द्राज सही है। वर्तमान जामाबन्दी नकल संलग्न है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2041 वर्किंग के खाता संख्या**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:38 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

206 में साबिक खसरा नम्बर 2064 रकबा 01–15–10 व खसरा नम्बर 2078 रकबा 00–05–01 व खसरा नम्बर 2073 रकबा 01–10–13 मूल खातेदार भंवरलाल वल्द लाला 1/2 हि. महावीर पुत्र आसू 1/2 हि. जाति माली के नाम दर्ज था। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 10.10.85 के अनुसार खसरा नम्बर 2064 रकबा 01–15–10, 2078 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 2079 रकबा 01–13–10 कुल रकबा 03–18–00 पर सम्पूर्ण खाते पर भंवरलाल पुत्र लादू जाति माली के नाम अंकन होकर तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 19.03.07 विरासत व रिलीजडीड से भंवरलाल पुत्र लादू के स्थान पर रामकुवार, रामस्वरूप व जीवणचन्द पि. भंवरलाल जाति माली के नाम अंकन स्वीकार हुआ। भू–प्रबन्ध पश्चात खसरा नम्बर साबिक 2064 के नवीन खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.29 साबिक खसरा नम्बर 2078 के नवीन 1255/2618 रकबा 0.05 व साबिक खसरा नम्बर 2079 के नवीन खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.22, 1255/1618 रकबा 0.05 बने जो आधार जमाबन्दी के खाता संख्या 308 में भी इन्द्राज है। लेकिन विक्रेता महावीर पुत्र आसू हि. 1/2 पुनः दर्ज हो गया। जो गलत है, क्योंकि पूर्ण में नामान्तरकरण संख्या 470 में महावीर पुत्र आसू के हक खत्म हो गये थे। वर्तमान जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 1255/1618 रकबा 0.10 व 1256 रकबा 0.51 पर वादी द्वारा चाही गइ शुद्धि हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार नियमानुसार निर्णय किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 1255/1618 व 1256 को वर्किंग जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण सं. 421 दिनांक 11.07.1985, 470 दिनांक 10.10.1985 तथा 876 दिनांक 19.03.2007 में किये गए इन्द्राज के अनुसार दुरूस्त कर दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:38 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 132 राजस्थान भू[illegible] का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अव[illegible] आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 1255/1618 व 1256 को वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 2063 व 2080 एवं नामान्तरकरण सं. 421 दिनांक 11.07.1985, 470 दिनांक 10.10.1985 तथा 876

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

दिनांक 19.03.2007 में किये गए इन्द्राज के अनुसार दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

22.11.21

सुखाराम पिण्डेल

उपखण्ड अधिकारी

(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:38 IST
Reason: SelfAttested